रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2014 (अग्रहायण 1, 1936)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2014 (AGRAHAYANA 1, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	1267
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1003
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2085
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1389
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	7151
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1329
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1267
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1003
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2085
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1389
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	7151
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1329
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2014

संकल्प

सं. 31/49/2014–एम.III—सरकार ने आईबीएम के प्रकार्य और उसकी भूमिका की समीक्षा और पुनर्संरचना के लिए वर्ष, 2009 में एक समिति का गठन किया था । समिति ने सरकार को मई, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार खान नियंत्रण एवं खनिज संरक्षण प्रभाग तथा अयस्क प्रसाधन प्रभाग के पुन: नामकरण का सुझाव दिया :-

i "खान नियंत्रण एवं खनिज संरक्षण प्रभाग":- समिति ने यह महसूस किया कि आईबीएम के खान नियंत्रण एवं खनिज संरक्षण (एमसीसीएम)प्रभाग की भूमिका केवल खनिजों के संरक्षण तक ही सीमित नही है बल्कि यह देश में खनिज संसाधनों के सतत विकास हेतु विनियामक मानक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय निकाय जैसे प्रकार्य भी करेगा ताकि राज्य स्तरीय विनियामक तंत्रों के निर्माण और सुधार के लिए क्षमता निर्माण में सहायता दी जा सके । विनियामक प्रकार्यों के अलावा, यह प्रभाग खनन उद्योग के लिए सुविधादाता के रूप में विभिन्न भूमिका निभाता है। इसलिए समिति ने "खनिज विकास एवं विनियमन प्रभाग" के रूप में प्रभाग का पुन: नामकरण करने की सिफारिश की है।

ii. "अयस्क प्रसाधन प्रभाग":- 'खनिज प्रसंस्करण' शब्द अधिक समसामयिक है और यह पूरे विश्व में एक स्वीकार्य वाक्यांश होगा तथा आईबीएम के अयस्क प्रसाधन प्रभाग के मौजूदा और निर्धारित प्रकार्यों एवं गतिविधियों के लिए अधिक संगत होगा । इसलिए समिति ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा "अयस्क प्रसाधन प्रभाग" के स्थान पर "खनिज प्रसंस्करण" को अपनाकर इस प्रभाग का "खनिज प्रसंस्करण प्रभाग" के रूप में पुन: नामकरण किया जाए।

भारत सरकार ने समिति के सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और खान नियंत्रण एवं खनिज संरक्षण प्रभाग का नाम बदलकर "खान विकास एवं विनियमन प्रभाग" तथा अयस्क प्रसाधन प्रभाग का नाम "खनिज प्रसंस्करण प्रभाग" करने का निर्णय लिया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प,सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आण्विक ऊर्जा विभाग को संसूचित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अजय कादियान
अवर सचिव

सं. 31/49/2014–एम.III—भारतीय खान ब्यूरों (आईबीएम) वर्तमान में एक चार्टर के तहत कार्य करता है जिसे दिनांक 06 मार्च, 2003 के सरकार के संकल्प सं. 35/1/2002-एम-III के जरिए जारी, तथा 22 मार्च, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

उस तिथि से अब तक उनके घटनाक्रम हुए है जिसके कारण आईबीएम की भूमिका तथा प्रकार्यों के कार्य क्षेत्र की समीक्षा करना अब आवश्यक हो गया है ताकि आईबीएम को राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के कार्यान्वयन हेतु सक्षम तंत्र बनाया जा सके, तथा इसके चार्टर को समसामयिक परिस्थिति के अनुसार बनाया जा सके ।

तदनुसार, सरकार ने आईबीएम के प्रकार्यों एवं भूमिका की समीक्षा तथा पुनर्गठन हेतु 2009 में एक समिति का गठन किया । समिति ने मई, 2012 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया कि आईबीएम की कार्य प्रणाली पुन: परिभाषित चार्टर के तहत होनी चाहिए और तदनुसार इसके लिए प्रारूप प्रस्तुत किया ।

भारत सरकार ने समिति के सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि आईबीएम के मौजूदा चार्टर को समिति द्वारा सुझाए प्रारूप को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए ।

इस संबंध में पहले के सभी संकल्पों के अधिक्रमण में, सरकार ने निर्णय लिया है कि आईबीएम के कार्यों का चार्टर निम्निलिखित अनुसार होगा :

भारतीय खान ब्यूरो के कार्यों का चार्टर

आईबीएम का उद्देश्य देश में (तटीय तथा अपतटीय दोनों) खनिज संसाधनों का व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विकास तथा भरपूर उपयोग को बढ़ावा देना होगा ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आईबीएम :

1. राष्ट्रीय खनिज सूचना कोष के रूप में देश में खान एवं खनिजों के गवेषण, पूर्वेक्षण की संपूर्ण सूचना को एक डाटाबेस में संग्रहण, तुलना तथा संगठित करेगा तथा इसके प्रकाशन एवं प्रसार के उपाय करेगा;
2. खनन क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी नियामक के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य सरकारों (विनियमन का प्रथम स्तर) के मार्गदर्शन हेतु विनियमन, प्रक्रिया तथा प्रणाली निर्धारित करेगा;
3. केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तरों पर नियामक और साथ ही साथ विकास कार्य दोनों के लिए ही प्रणाली में क्षमता निर्माण करेगा;
4. केंद्र, राज्यों, खनिज उद्योग, शोध तथा शिक्षा संस्थानों, तथा सभी स्टेकहोल्डरों के बीच समन्वयन का संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा ताकि उद्योग के सामने आने वाली सभी मांगों एवं समस्याओं के सक्रिय उपाय विकसित किए जा सके;
5. उद्योग की व्यवहारिक प्रासंगिकताओं के सभी पहलुओं पर अनुसंधान संस्थानों तथा दूसरी और उपयोक्ता उद्योग के बीच सेतु का काम करेगा;
6. तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करेगा ;
7. खनिज क्षेत्रों के विनियमन तथा विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं में भाग लेगा ;
8. खनिज उद्योग संबंधी सभी मामलों पर सरकार को सलाह देगा; और
9. भूविज्ञान, खनन, खनिज सज्जीकरण तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक अन्य गतिविधि शुरू करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संसूचित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अजय कादियान
अवर सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 3rd November 2014

RESOLUTION

No. 31/49/20014-M.III—The Government had set up a Committee for review and restructuring of the functions and role of IBM in 2009. The Committee submitted its report to Government in May, 2012. The Committee has, *interalia*, suggested the renaming of the Mines Control & Conservation of Minerals Division and Ore Dressing Division as under:-

i. "Mines Control & Conservation of Minerals Division":- The Committee felt that the role of Mines Control & Conservation of Minerals (MCCM) Division of IBM is not limited to ensuring conservation of minerals but will also encompass functions like National body for formulation of regulatory standards for sustainable development of mineral resources in the country, to provide support for the capacity building for creation and improvement of State level regulatory systems. Apart from regulatory functions, the division performs various roles as facilitator to the mining industry. Therefore, the Committee recommended renaming of the Division as " Minerals Development and Regulation Division".

ii. "Ore Dressing Division":- The expression 'Mineral Processing' is more contemporary and would be an accepted phrase world over and would be more relevant to the existing and envisaged functions & activities of the Ore Dressing Division of IBM. The Committee therefore recommended that the appellation "Mineral Processing" be adopted and the Division be renamed as "Mineral Processing Division" instead of the existing "Ore Dressing Division".

The Government of India have carefully considered the suggestions of the Committee and decided to rename the Mines Control & Conservation of Minerals Division as "Minerals Development & Regulation Division" and the Ore Dressing Division as "Mineral Processing Division".

ORDER

Ordered, that this resolution be communicated to all State Governments and Central Ministries of the Govt. of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission and Comptroller and Auditor General of India, Indian Bureau of Mines, Geological Survey of India and Department of Atomic Energy.

Ordered, also that this resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJAY KADIAN
Under Secretary

F.No. 31/49/2014-M.III—The Indian Bureau of Mines (IBM) functions today under a charter that was issued vide Government Resolution no.35/1/2002-M.III dated 6th March, 2003, and published in the Gazette of India on 22nd March 2003.

There have been numerous developments since that date which now necessitated a review of the role and scope of the functions of the IBM to make the IBM a competent instrument for the implementation of the National Mineral Policy, 2008, and to bring its charter in line with the contemporary situation.

Accordingly, the Government had set up, in 2009, a Committee for review and restructuring of the functions and role of IBM. The Committee submitted its report to Government in May, 2012. The Committee has, *interalia*, suggested that the functioning of the IBM should be under a redefined charter, and has, accordingly, provided a draft of the same.

The Government of India have carefully considered the suggestion of the Committee and decided that the present charter of IBM should be modified, taking into account the draft suggested by the Committee.

In supersession of all of earlier resolutions in this regard, Government have decided that the charter of functions of IBM will be as follows:

CHARTER OF FUNCTIONS OF INDIAN BUREAU OF MINES

The objective of the IBM will be to promote systematic and scientific development and optimum utilisation of mineral resources of the country (both on-shore and off-shore).

In order to achieve this objective the IBM will:

1. Collect, collate, and organise into a database, all information on exploration, prospecting, mines and minerals in the country in the shape of a National Mineral Information Repository and take steps to publish and disseminate the same;
2. Function as the National Technical Regulator in respect of the mining sector, and lay down regulations, procedures and systems to guide the State Governments (first tier of regulation);
3. Build up capacity in the system, both for regulatory as well as the developmental work, at the central level as well as at the level of the States;
4. Establish institutional mechanisms of coordination between the Centre, the States , mineral industry, research and academic institutions, and all stake holders, so as to proactively develop solutions to the demands and problems faced by the industry;
5. Promote research on all aspects of practical relevance to the industry and to act as a bridge between research institutions on the one hand and user industry on the other;
6. Provide technical consultancy services;
7. Participate in international collaborative projects in the area of regulation and development of the mineral sector;
8. Advise Government on all matters relating to the mineral industry; and
9. Undertake any such other activity as has become necessary in the light of developments in the field of geology, mining, mineral beneficiation and the environment.

ORDER

Ordered, that this resolution be communicated to all State Governments, Ministries of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, and Comptroller and Auditor General of India.

Ordered, also that this resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJAY KADIAN
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies